न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

ठासीन अधिकारी :– श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0

र्थना पत्र सं0 47/14
र्णय दिनांकः– 10.02.2018

1. भंवरकृष्ण कुमार सिंह पुत्र स्व0 कर्नल श्री जयसिंह जाति राजपूत नि0 हरसोली तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. राजूदेवी पत्नि रामनिवास
2. संतोषदेवी पत्नि जयराम
   समस्त जाति जाट नि0 रलावता तह0 श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
3. तहसीलदार जी तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 128 ले0रे0ऐक्ट

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी के कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी खाता सं0 201 खं0नं0 593/2 रकबा 1 बीघा गै0मु0 उघोग व खाता सं0 202 खं0नं0 593/1 रकबा 22 बीघा 4 विस्वा जिसमें 3 बीघा औधोगिक ईट भट्टा शेष 19 बीघा 4 विस्वा बारानी अबल वाकै ग्राम हरसोली तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज है उपयोग व उपभोग करता है। उपरोक्त आराजी का सीमाज्ञान प्रार्थी के प्रा0पत्र पर तहसीलदार कि0रेनवाल के आदेश क्रंमाक एल0आर0/14/493–495 दिनांक 14.02.14 द्वारा पटवारी हल्का हरसोली व पटवारी हल्का हिंगोनिया व गिरदावर हल्का करणसर ने दिनांक 07.06.14 को पड़ौसी काश्तकारों व प्रार्थी के उपस्थिति में जरीब चलाकर मौके पर प्रार्थी के खं0नं0 593/1 व 593/2 का सीमाज्ञान किया गया जिस पर अप्रार्थी सं0 1 व 2 की खातेदारी की भूमि खं0नं0 613/1 की करीब ढाई बीघा जमीन कम पायी। प्रार्थी के खातेदारी के खेत खं0नं0 593/1 व 593/2 का सीमाज्ञान करवाते समय उक्त भूमि के पूर्वी तरफ के पड़ौसी खं0नं0 613/1 व 613/2 के खातेदार मौजूद थे। जिनके मध्य प्रार्थी का सीमा विवाद है तथा उन्होनें अपनी सीमा सीढ़ाई में करते हुए करीब ढ़ाई बीघा जमीन प्रार्थी के पूर्वी तरफ की दबाकर नाजायज ऑफिस, झूग्गियों का निर्माण ताजा कर लिया है अन्य सीमाओं से प्रार्थी का कोई विवाद नहीं है इसलिए उन्हें पक्षकार नहीं बनाया है। उक्त सीमाज्ञान दिनांक 07.06.14 के मुताबिक प्रार्थी पत्थरगढ़ी के निशानार्थ कायम करवाकर अपनी खेत की पूर्वी सीमा पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं जिससे पक्षकारान में भविष्य में किसी प्रकार का कोई सीमा विवाद न हो व आयेदिन झगड़े फिसाद न हो तथा दोनो पक्षों के मध्य निश्चित व सही सीमा कायम होकर स्थायी समाधान सीमा विवाद का हो सकें। सीमाज्ञान दिनांक 07.06.14 के आधार पर अप्रार्थी

ड अधिकारी
मर लेक

Scanned by CamScanner

1 व 2 को सीमा चिन्हे कायम करने की कहने पर व पत्थर गाढ़ने की कहने पर
ना हो गये इसलिए उक्त प्रा0पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। प्रा0पत्र के साथ
ाज्ञान रिपोर्ट संलग्न है तथा प्रार्थी के खातेदारी की जमाबन्दी व अप्रार्थीगण की
दारी की जमाबन्दी व प्रार्थी के खातेदारी का नक्शा व अप्रार्थी सं0 1 व 2 के
तेदारी के नक्शें की फोटो कॉपी प्रा0पत्र के साथ संलग्न है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया। अप्रार्थी सं0 1
2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही
ाल में लायी जाती है। अप्रार्थी सं0 3 द्वारा जवाब पेश कर अपने जवाब में अंकित
या है कि उपरोक्त खसरा नम्बरान की पत्थरगढ़ी नकल सीमाज्ञान दिनांक 07.06.14
अनुसार की जाती है तो इस न्यायालय को कोई आपति नहीं है। पत्रावली राष्ट्रीय
ाक अदालत केम्प में पेश हुयी। वकील प्रार्थी ने राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से
क्त प्रा0पत्र मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 07.06.14 के अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने
ा निवेदन किया जिस पर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी ने अपनी
ाराजी की पत्थर गढ़ी बाबत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थी ने अपनी आराजी
ा दिनांक 07.06.17 को नियमानुसार सीमाज्ञान करवा रखा है जिसकी फर्द मौका
ीमाज्ञान पत्रावली में संलग्न है ऐसी स्थिति में दोनो पक्षों एवं प्रार्थी के चारों तरफ के
खातेदारों के समक्ष कोई स्थगन नहीं हो तो मुताबिक सीमाज्ञान प्रार्थी की आराजी की
पत्थरगढ़ी की जाना न्यायोचित समझता है।

निर्णय

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0राजस्व अधिनियम 1956 का
राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की आराजी खाता सं0
201 खं0नं0 593/2 रकबा 1 बीघा गै0मु0 उघोग व खाता सं0 202 खं0नं0 593/1
रकबा 22 बीघा 4 विस्वा किता 2 कुल रकबा 23 बीघा 4 विस्वा वाकै ग्राम हरसोली
तह0 किरेनवाल जिला जयपुर राज0 में दोनो पक्षों एवं प्रार्थी के चारों तरफ के
खातेदारों के समक्ष कोई स्थगन नहीं हो तो मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक
07.06.17 के पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार फुलेरा
को उक्त निर्णय की पालना की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2018 को राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालय हाजा मे
टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner